**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2128**

उत्तर देने की तारीखः 12.05.2016

**स्कूल प्रबंधन समितियों का कार्यकरण**

**2128. श्री विजय गोयलः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं अर्थात सदस्यों को अपनी सदस्यता, कर्तव्यों और अधिकार की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय स्कूल प्रबंधन समितियों को बनाने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय स्कूल प्रबंधन समितियों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए अध्ययन करवाने की योजना बना रहा है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**)श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): अप्रैल, 2010 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को लागू किए जाने से लेकर वर्ष 2015-16 तक देश के सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के 2,93,09,308 अर्थात (दो करोड़ तिरानवे लाख नौ हजार तीन सौ आठ) सदस्यों को उनकी सदस्यता, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(ग): फिलहाल इस मंत्रालय में ऐसा अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*